दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 50 हजार जुर्माना

श्रावस्ती, संवाददाता। पांच वर्ष से न्यायालय में विचाराधीन चल रहे दुष्कर्म व आत्महत्या के मजबूर करने के मामले में बुधवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी 29 जुलाई 2020 [illegible]र के बरामदे में सो रही थी। इस [illegible]क गांव निवासी ओमकार पुत्र [illegible]ल पासवान घर के बरामदे में [illegible]र चारपाई पर सो रही लड़की के [illegible]कर्म करने लगा। किशोरी के [illegible]ाने पर मां जग गई और मौके पर पहुंची तो आरोपी किशोरी को छोड़कर फरार हो गया। सुबह महिला ग्राम प्रधान को घटना की जानकारी देने उनके घर चली गई और किशोरी का छोटा भाई खेलने लगा गया।

इस दौरान किशोरी को अकेला पाकर आरोपी ओमकार फिर से घर आ गया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। जिससे क्षुब्ध होकर किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां की तहरीर पर इकौना थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने पर आरोपी को दोषी पाया गया।